न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./16/2020

1. मोहन पुत्र पेमा रेगर जाति रेगर
2. रायचन्द पुत्र रामकरण रेगर जाति रेगर
3. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण रेगर जाति रेगर
4. बरदी पुत्री रामकरण रेगर जाति रेगर
5. ऐजी देवी पत्नी रामकरण रेगर जाति रेगर निवासीगण चांपानेरी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुशीला पुत्री नानू रेगर
2. रामस्वरूप पुत्र नानू रेगर
3. नाथू पुत्र मगना रेगर
4. सांवरलाल पुत्र सुवा गुर्जर
5. भागीरथ पुत्र सुवा रेगर
6. नोरत पुत्र उगमा रेगर
7. ईश्वर दत्तक पुत्र बद्री रेगर
8. महेन्द्र पुत्र सांवरलाल रेगर
9. नृसिंह पुत्र गोपाल रेगर
10. प्रहलाद पुत्र कालू रेगर
11. सुवा पुत्र हरदेव रेगर
12. छगना पुत्र हरदेव रेगर
13. कैलाश पुत्र पोखर रेगर
14. सुमित्रा पत्नी सांवरलाल रेगर
15. लीला पुत्री सांवरलाल रेगर
16. गुलाबी पुत्री बद्री रेगर
17. मोना पुत्री कालू रेगर(विलोपित)
18. कैलाश पुत्र हीरा बलाई(विलोपित)

    सभी निवासी ग्राम चांपानेरी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री सांवरलाल चौधरी
2 . पैरोकार सरकार

Scanned with CamScanner

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 1115 में दर्ज खसरा नं. 3701 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 3721 रकबा 0.18, खसरा नं. 3722 रकबा 0.15, खसरा नं. 3763 रकबा 0.21, खसरा नं. 3764 रकबा 0.20, खसरा नं. 4307 रकबा 0.21, खसरा नं. 4308 रकबा 0.14, खसरा नं. 4321 रकबा 0.45, खसरा नं. 4322 रकबा 0.14, खसरा नं. 4323 रकबा 0.01, खसरा नं. 4327 रकबा 0.31, खसरा नं. 4571 रकबा 0.52, खसरा नं. 4572 रकबा 0.57 कुल किता 13 कुल रकबा 3.43 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 18 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 19 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 16 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 16 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 17 व 18 का नाम पत्रावली से विलोपित कर संशोधित उनवान स्वीकर किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम चांपानेरी के खाता संख्या 1115 संवत 2070–2073(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 1115 में दर्ज खसरा नं. 3701 रकबा 0.34, खसरा नम्बर 3721 रकबा 0.18, खसरा नं. 3722 रकबा 0.15, खसरा नं. 3763 रकबा 0.21, खसरा नं. 3764 रकबा 0.20, खसरा नं. 4307 रकबा 0.21, खसरा नं. 4308 रकबा 0.14, खसरा नं. 4321 रकबा 0.45, खसरा नं. 4322 रकबा 0.14, खसरा नं. 4323 रकबा 0.01, खसरा नं. 4327 रकबा 0.31, खसरा नं. 4571 रकबा 0.52, खसरा नं. 4572 रकबा 0.57 कुल किता 13 कुल रकबा 3.43 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पडौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

Scanned with CamScanner